8-10-25 पत्रावली पेश है। वकील वादी हाजिर है।
बार-बार अवसर तामील वाले हैं।
अवसर देने के बावजूद भी तामील
नहीं कराई जा रही है जिससे प्रतीत
होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के
आदेशों की अवहेलना की जा रही है।
अतः वाद वादी मान कमलेश
से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी
गवाह ले कर हाजिर हो। तकमील
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर